



Neutral Citation No. - 2026:AHC:165958

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - सी संख्या - 19318/2026

महफिस और अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अभिषेक केसरवानी, विपिन कुमार

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 75

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्तागण ने परमादेश की प्रकृति का एक रिट जारी करने की प्रार्थना की है, जिसके द्वारा प्रतिवादियों को उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश दिया जाए तथा संरक्षण प्रदान करने के लिए भी निर्देश दिया जाए।
3. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि यद्यपि दोनों याचिकाकर्ता वयस्क हैं, किन्तु वे भिन्न-भिन्न आस्थाओं के हैं। वे अविवाहित हैं और सहजीवन

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



संबंध में रह रहे हैं। आगे, यह कथन किया गया है कि निजी प्रतिवादी तथा परिवार के अन्य सदस्य अप्रसन्न हो गए हैं और उनके जीवन को गंभीर खतरा है, क्योंकि उन्हें धमकाया तथा प्रताड़ित किया जा रहा है। अतः, याचिकाकर्तागण ने निजी प्रतिवादियों से अपने जीवन की रक्षा करने हेतु पुलिस प्राधिकारियों को निर्देश जारी करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत यह रिट याचिका दाखिल की है।

4. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने रिट याचिका में की गई प्रार्थना का विरोध किया है।

5. वर्तमान याचिका में अंतर्विष्ट प्रश्न पर इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा रिट-सी संख्या 41127/2025 (नूरी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य), जो 2026 एससीसी ऑनलाइन ऑल 456 में प्रतिवेदित है, में पहले ही विचार किया जा चुका है, जिसमें इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने, समान प्रकृति की रिट याचिकाओं के एक समूह को स्वीकार करते हुए, भिन्न-भिन्न आस्थाओं वाले ऐसे याचिकाकर्ताओं को संरक्षण प्रदान किया था, जो अपनी स्वतंत्र इच्छा और पसंद से सहजीवन संबंध में रह रहे थे। आगे, वर्तमान मामले के तथ्य नूरी और अन्य (उपर्युक्त) के तथ्यों के समान हैं, अतः वर्तमान रिट याचिका का निम्नलिखित शर्तों के अनुसार निस्तारण किया जा रहा है।

6. एक बार जब कोई व्यक्ति, जो वयस्क है, अपने साथी का चयन कर चुका है, तब किसी अन्य व्यक्ति के लिए, चाहे वह परिवार का सदस्य ही क्यों न हो, आपत्ति करने और उनके शांतिपूर्ण अस्तित्व में बाधा उत्पन्न करने का कोई अधिकार नहीं है। राज्य पर अधिरोपित संवैधानिक दायित्वों के अनुसार, प्रत्येक नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य का परम कर्तव्य है। मानव जीवन के अधिकार को किसी नागरिक के अवयस्क या वयस्क, विवाहित या अविवाहित होने की परवाह किए बिना, अत्यधिक उच्च स्तर पर रखा जाना चाहिए। केवल यह तथ्य कि याचिकाकर्तागण ने विवाह संस्कार संपन्न नहीं किया है, उन्हें भारत के नागरिक होने के

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



नाते भारत के संविधान में परिकल्पित उनके मूल अधिकार से वंचित नहीं करेगा। इस न्यायालय को यह धारित करने में कोई संकोच नहीं है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संवैधानिक मूल अधिकार अत्यधिक उच्च स्तर पर स्थित है। पवित्र होने के कारण, संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत इसकी रक्षा की जानी चाहिए, चाहे विवाह संस्कार संपन्न हुआ हो अथवा पक्षकारों के बीच किसी विवाह का अभाव ही क्यों न हो।

7. यहां याचिकाकर्तागण, जो वयस्क हैं, ने विवाह की पवित्रता के बिना एक साथ निवास करने का निर्णय लिया है और न्यायालयों के लिए यह नहीं है कि वे उनके निर्णय के आधार पर उनका मूल्यांकन करें। यदि यहां याचिकाकर्तागण ने कोई अपराध कारित नहीं किया है, तो यह न्यायालय ऐसा कोई कारण नहीं देखता कि संरक्षण प्रदान करने की उनकी प्रार्थना स्वीकार क्यों नहीं की जा सकती।

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, इस न्यायालय का मत है कि याचिकाकर्तागण शांतिपूर्वक एक साथ रहने के लिए स्वतंत्र हैं और किसी भी व्यक्ति को उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्योंकि जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जिसकी भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सुनिश्चितता की गई है, जिसमें यह उपबंधित है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार के सिवाय, उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।

9. यदि याचिकाकर्तागण के शांतिपूर्ण जीवन में कोई व्यवधान उत्पन्न किया जाता है, तो याचिकाकर्तागण इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ संबंधित पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से संपर्क करेंगे और पुलिस अधिकारी, इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात कि याचिकाकर्तागण वयस्क हैं और स्वेच्छा से एक साथ रह रहे हैं, याचिकाकर्तागण को तत्काल संरक्षण प्रदान करेगा। यदि याचिकाकर्तागण शिक्षित हैं और वे अपने शैक्षिक प्रमाण-पत्र तथा अन्य

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



ऐसे प्रमाण-पत्र, जो विधि के अंतर्गत ग्राह्य हों, प्रस्तुत करते हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने वयस्कता प्राप्त कर ली है और वे अपनी स्वतंत्र इच्छा से रह रहे हैं, तब कोई भी पुलिस अधिकारी उनके विरुद्ध कोई बलपूर्वक कार्यवाही नहीं करेगा, जब तक कि उनके विरुद्ध किसी भी अपराध के संबंध में कोई एफ.आई.आर दर्ज न हो। यदि उनके पास आयु के संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है और वे ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और/अथवा निरक्षर/अर्ध-साक्षर हैं, तो पुलिस अधिकारी ऐसे लड़के या लड़की की सही आयु का सत्यापन करने के लिए उसका अस्थि-परिक्षण करा सकता है और वह विधि के अंतर्गत अनुमेय अन्य प्रक्रिया का भी अनुसरण कर सकता है।

10. उपर्युक्त टिप्पणियों/निर्देशों के साथ, वर्तमान याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

7 अगस्त, 2026

एस. अली

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”